

!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस-नोट

दिनांक:- 21.04.2017

➤ **दहेज प्रताडना में आरोपी पति गिरफ्तार –**

महिला थाना – दिनांक 13.04.2017 को मुस्तगीसा रामकन्या पुत्री घसीडा बैरबा निवासी मामचारी थाना सदर करौली ने दहेज कि मांग को लेकर पति द्वारा तंग व परेशान करने का मु0न0 28/17 धारा 498-ए, 406 भा.द.स. में महिला थाने पर पंजीबद्ध करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी 1. संतोष पुत्र लखनलाल जाति बैरबा निवासी विजयपुरा थाना वजीरपुर जिला स0मा0 को दिनांक 21.04.2017 को कमलप्रसाद पु0नि0 थानाधिकारी महिला थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➤ **घर में घुसकर मारपीट करने पर 05 आरोपी गिरफ्तार –**

थाना बालघाट – दिनांक 20.03.2017 को मुस्तगीस विकास पुत्र हरप्रसाद जाटव निवासी सालिमपुर थाना बालघाट ने स्वयं व अपने परिवारजनों पर हमला कर मारपीट करने का मु0न0 15/17 धारा 147,148,149,323,341,324,325,452 भा.द.स. में पंजीबद्ध करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी 1. हुकमसिंह 2. दौलतराम पुत्रान रामप्रसाद 3. हेमराज पुत्र हरीलाल 4. हरीलाल 5. दिलसुख पुत्रान गंगाधर जाति जाटव निवासी सालिमपुर थाना बालघाट को दिनांक 20.04.2017 को अतरसिंह उ0नि0 थानाधिकारी बालघाट के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

➤ **किराये पर गाडी ले जाकर लूट की वारदात करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार –**

थाना हिण्डौनसिटी – दिनांक 23.04.2013 को मुस्तगीस गजबसिंह पुत्र रामेश्वर गुर्जर निवासी बेडा बनकी थाना सदर हिण्डौन ने अपनी एसयूबी कार को किराये के बहाने यूपी में ले जाकर चालक को चाकूओं से गोदकर सडक पर पटक कर गाडी व रुपयों को लूटने का मु0न0 286/13 धारा 232,234,365,307,394 भा.द.स. में पंजीबद्ध करवाने पर बाद अनुसंधान आरोपी 1. सुरेन्द्र उर्फ सुरेन्द्रभान पुत्र उदयभान उर्फ पप्पू जाति गुर्जर निवासी उमरैन थाना बयाना जिला भरतपुर को दिनांक 20.04.2017 को त्रिलोकचन्द उ0नि0 के द्वारा बयाना से गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पूर्व में ही आरोपी ओमेन्द्र पुत्र रूपन उर्फ रूपराम गुर्जर निवासी तेसगांव हाल निवासी भट्टा कॉलोनी हिण्डौन सिटी को गिर0 किया जा चुका है।

➤ **शांति भंग करने पर 14 व्यक्ति गिरफ्तार –**

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 20.04.2017 को सुन्दर हैड कानि0 1564 के द्वारा सरकारी कॉलेज करौली में गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. चेतन पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा निवासी पहाडी थाना सदर करौली को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 20.04.2017 को याकूब अली स0उ0नि0 के द्वारा गुलाब बाग करौली से आरोपी 2. दशरथ पुत्र बद्रीसिंह राजपूत निवासी मेंगरा थाना मासलपुर को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना मासलपुर– दिनांक 21.04.2017 को थानसिंह हैड कानि. 1524 के द्वारा दौराने जांच परिवाद भोजपुर में गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. राजेन्द्र 2. दिनेश पुत्रान रामखिलाडी 3. रामखिलाडी 4. बन्नी पुत्रान अमोल जाति गुर्जर निवासी भोजपुर थाना मासलपुर को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना मण्डरायल— दिनांक 21.04.2017 को उमेशसिंह हैड कानि. 1513 के द्वारा दौराने जांच परिवाद कस्बा मण्डरायल में गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. रमेश 2. केदार पुत्रान प्रभू जाति प्रजापत निवासी गर्ल्स स्कूल के पास मण्डरायल को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना लांगरा — दिनांक 21.04.2017 को कैलाश गुर्जर उ0नि0 के द्वारा दौराने जांच परिवाद थाने में गाली गलोंच करने उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. कमलकिशोर 2. नरेश पुत्रान रामस्वरूप 3. हरकेश पुत्र रामेश्वर 4. दिनेश पुत्र रामस्वरूप सभी जाति मीणा निवासी कसीयापुरा थाना लांगरा को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना कुडगांव — दिनांक 21.04.2017 को हरीराम हैड कानि. 1540 के द्वारा दौराने जांच परिवाद खूबपुरा में गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. धर्मसिंह 2. विश्राम पुत्रान भौरया गुर्जर निवासी खूबपुरा थाना कुडगांव को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।